संख्या-9/2015/444/52-2-15-2(270)/13 टी0सी0

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अमेठी एवं मेरठ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2015

विषय- अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी हेतु डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रक्षित वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम किश्त/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त कराये जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, अमेठी के पत्र संख्या-235/अ0स0क0/कब्रि/चहा0 निर्माण/2014 दिनांक 16.दिसम्बर, 2014 एवं संख्या-284-88/अ0सं0क0/चयनित सूची/2014-15 दिनांक 28-02-2015 एवं सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0 के पत्र संख्या-684/व0आ0-31(88)/2014 दिनांक 10 मार्च, 2015 तथा जिलाधिकारी, मेरठ के पत्र संख्या-2298/अ0सं0क0/2014-15 दिनांक 03 मार्च, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्तयेष्टि स्थलों की चहारदीवारी हेतु निम्नलिखित जनपदों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) एवं अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 554.9445 लाख (रू0 पांच करोड चौवन लाख चौरानवे हजार चार सौ पचास मात्र) जो डी.आर.डी.ए. के पी.एल.ए. में रखी है, को निम्नलिखित विवरण के अनुसार, पी.एल.ए. से अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीक्ति/सहमति, इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि- "संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी पी0एल0ए0 में रखी धनराशि कार्यदायी संस्था को इस शर्त के साथ अवमुक्त करेगे कि वित्तीय वर्ष 2012-13 कि द्वितीय किश्त से कराये गये कार्यो एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम किश्त से कराये गये कार्यो के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेगे व जनपद अमेठी व मेरठ मे हुए कार्यो मे पायी गयी अनियमितता के निराकरण के सम्बंध मे पूर्ण आश्वस्त हो लेगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित कुल धनराशि (लाख रूपये में)धनराशि (लाख रूपये में)	डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में जमा धनराशि	डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 से अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)	किश्त (प्रथम/द्वितीय)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	अमेठी	146.99	73.4925	73.4925	I
2	मेरठ	962.904	481.452	481.452	II
		कुल धनराशि		554.9445	

कुल योग (रू0 पांच करोड चौवन लाख चौरानवे हजार चार सौ पचास मात्र)

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-454/दस-2015, दिनांक 31-03-15 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-9/2015/444(1)/52-2-15 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सर्वे आयुक्त वक्फ, उ0प्र0, लखनऊ।
2- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड0डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी एवं मेरठ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अमेठी एवं मेरठ।
7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-11
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।